पत्र संख्या-स्था-1-विधान मण्डल सत्र-2023/ 4275 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ//दिनांक- 16 फरवरी, 2023

//आदेश//

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का वर्ष 2023 का प्रथम सत्र दिनांक 20-02-2023 से प्रारम्भ हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व की भांति विधान सभा/विधान परिषद में चर्चा के लिये निर्धारित तिथि/समय पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है ताकि यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जा सके तथा सदन की कार्यवाही अविरल गति से चल सके।

2- उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने के लिये आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न प्रकार नोडल अधिकारी नामित किए गये हैं-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	विधान भवन का नाम	कार्यालय का पता	दूरभाष/मो0नं0
1	श्री कैलाश नाथ पाल, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, लखनऊ संभाग-सी, लखनऊ	विधान सभा	कार्यालय अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर लखनऊ जोन द्वितीय लखनऊ	9412701045 7235002308
2	श्री संजय कुमार-2, संयुक्त आयुक्त (एस0आई0बी) राज्य कर, लखनऊ संभाग-सी, लखनऊ।	विधान परिषद	कार्यालय अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर लखनऊ जोन द्वितीय लखनऊ	9870242022 7235001617

3- मा0 विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा कार्य स्थगन/औचित्य के प्रश्न आदि से सम्बंधित सूचनाएं/विषय से सम्बन्धित राज्य कर विभाग की सूचनाओं का उत्तर उसी दिन नोडल अधिकारी को समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जाये, ताकि उनके द्वारा सदन में शासन का पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके और शासन को सदन में असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े।

4- उपर्युक्त नोडल अधिकारी मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रत्येक उपवेशन में समय पर पास बनवाकर सदन की अधिकारी दीर्घा में रहकर उपर्युक्त कार्य सम्पन्न करेंगे तथा जीरो डिले के आधार पर सूचना उपलब्ध करायेंगे एवं विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय की सूचना अविलम्ब अपर मुख्य सचिव राज्य कर उ0 प्र0 शासन के साथ-साथ आयुक्त राज्य कर को देगे।

क्रमशः2

5- मा0 विधान मण्डल सत्र के दौरान लखनऊ से बाहर तथा मुख्यालय पर कोई बैठक आयोजित नहीं करेंगे तथा इस अवधि में कोई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से बाहर न जाये और यदि अपिरहार्य कारणों से बाहर जाना हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़कर बाहर जायेंगे।

6- दोनो सदनों में विभागीय अधिकारी त्रुटिरहित सूचना उपलब्ध करायेंगे। विभागीय अधिकारियों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि विधानमण्डल के दोनों सदनों में विधेयकों के प्रस्तुत होने की तिथि से पूर्व विचार एवं पारण हेतु नियत तिथि से पूर्व अपने विभागीय मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी एवं मा0 नेता सदन, विधान परिषद को ब्रीफ कर दें ताकि किसी असुविधाजनक स्थिति का सामना न करना पड़े, और सदन में सरकार का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृ0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1- प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
2- विशेष सचिव राज्य कर अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिकारियों के विधान सभा सचिवालय पास बनवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3- समस्त अपर आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय।
4- समस्त नोडल अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
5- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अवधि में किसी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाये और न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को संस्तुति की जाए।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी (प्रभारी), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
7- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर उक्त आदेश प्रदर्शित किये जाने हेतु।
8- डाटा इन्ट्री आपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग), राज्य कर मुख्यालय।

16/02/23
(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्था0 राज0)
राज्य कर, मुख्यालय।